गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए)

- बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए सभी ऋण उनके लिए संपत्ति हैं। यदि ग्राहक बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो वे "गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां" हैं।

मानक/प्रदर्शन करने वाली संपत्तियां

- एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं है।
- उधरकर्ता ऋण राशि का भुगतान नियमितता से करता है।

गैर-मानक/तनावग्रस्त आस्तियां

- गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां = छोटा उल्लेख खाता + गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां + पुनर्रचित संपत्तियां + लिखित संपत्तियां

1. विशेष उल्लेख खाता

प्रारंभ में जब ग्राहक ने देय तिथि पर ऋण राशि का भुगतान नहीं किया तो बैंक ने एसएमए में बकाया राशि का उल्लेख करना शुरू कर दिया।

यह 3 प्रकार का होता है-

(i) SMA-0– मूलधन या ऋण या ब्याज राशि - 0 से 30 दिन
(ii) SMA-1– मूलधन या ब्याज राशि - 31 सें 60 दिन।
(ii) SMA-2– मूलधन या ब्याज राशि - 61-90 दिन।

2. गैर-निष्पादित आस्तियां

यदि ग्राहक 90 दिनों/तक ब्याज या मूलधन या दोनों का भुगतान नहीं करता है तो इसे एनपीए माना जाता है।

3. पुनर्रचित आस्तियां/ऋण

जब बैंक द्वारा बकाया ऋण का पुनर्गठन किया गया हो अर्थात पुनर्भुगतान की समयावधि निर्धारित, करके, ब्याज दर कम करके, आदि।

4. बट्टे खाते में डाली गई संपत्तियां

संपत्ति या ऋण जिन्हें देय के रूप में नहीं गिना जाता है क्योंकि उन्हें अन्य तरीकों से से मुआवजा दिया जाता है।

नोट: लिखित आस्तियों की मणना ऋण की छूट के रूप में नहीं की जाती है।

- **सामरिक ऋण पुनर्गठन:** जब बैंक ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करता हैं।
- **स्ट्रेस्ड एसेट्स (54A) की सस्टेनेबल, स्ट्रक्चरिंग के लिए योजना:** डिफॉल्ट राशि रु. 500 करोड़ और अधिक।
- ऋण राशि - स्थायी या गैर स्थायी
- गैर-स्थायी राशि में इक्विटी में परिवर्तित करें।

भारतीय बैंकों की एनपीए समस्या

- भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता जैसी विभिन्न पहलों के कारण वित्त वर्ष 2018 से एनपीए में गिरावट की प्रवृत्ति थी।
- कोरोना वायरस "COVID-19" महामारी और लॉकडाउन के प्रभावों के कारण, देश में फंसे हुए ऋणों में वृद्धि देखने की उम्मीद थी।

भारत में एनपीए को रोकने के उपाय

1. ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी)

- ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) 1993 में स्थापित किए गए थे।
- मामलों को निपटाने में लगने वाले समय को कम करना। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की आवश्यकताएं उन पर लागू होती हैं। हालांकि, चूंकि उनकी संख्या अपर्याप्त है, इसलिए उन्हें समय अंतराल का सामना करना पड़ता है, कई स्थानों पर मामले दो साल से अधिक समय से लंबित हैं।

2. क्रेडिट सूचना ब्यूरो (सीआईबी)

- वर्ष 2000 में, क्रेडिट सूचना ब्यूरो (CIB) की स्थापना की गई थी।
- ऋण गलत हाथों में जाने से बचने के लिए और, परिणामस्वरूप, एनपीए, एक अच्छी सूचना प्रणाली आवश्यक है। व्यक्तिगत डिफॉल्टर्स और बिलकुल डिफॉल्टर्स को ट्रैक और साझा किया जाता है, जिससे बैंकों को सहायता मिलती है।

3. लोक अदालत - 2001

- वे छोटे ऋणों से निपटने और उनकी वसूली में उपयोगी होते हैं, लेकिन 2001 में स्थापित आरबीआई के दिशानिर्देश उन्हें 5 लाख रुपये तक के ऋण तक सीमित कर देते हैं। वे इस मायने में फायदेमंद हैं कि वे अधिक मामलों को कानूनी प्रणाली में प्रवेश करने से रोकते हैं।

4. बिलकुल डिफॉल्टर

- किसी भी संस्था को इरादतन चूककर्ता माना जाता है जब:
- ऐसा करने के लिए वित्तीय साधन होने के बावजूद, इकाई ऋणदाता को अपनी भुगतान/चुकौती प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किल रही है।
- इकाई ऋणदाता को अपनी भुगतान/चुकौती प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किल रही है और
- ऋणदाता के धन का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं किया है, जिसके लिए उन्हें धन को अन्य उपयोगों में बदलने के बजाय प्राप्त किया गया था।
- इकाई ऋणदाता को अपनी भुगतान/पुनर्भुगतान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किल रही है और निधियों को इस तरह से निकाल दिया है, कि निधियों का उपयोग उस सटीक उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए क्रेडिट प्राप्त किया गया था, और न ही अन्य के रूप में धन उपलब्ध है इकाई के साथ संपत्ति।
- बैंकों को 25 लाख से अधिक के बकाया ऋण के साथ बिलकुल डिफॉल्टरों के नाम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को प्रस्तुत करने होंगे।

5. सरफेसी अधिनियम क्या है?

- 2002 का सरफेसी अधिनियम वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हितों के प्रवर्तन को विनियमित करने

और संपत्ति के अधिकारों पर बनाए गए सुरक्षा हितों के केंद्रीय डेटाबेस के लिए और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम है।

- SARFAESI वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन के लिए एक संक्षिप्त शब्द है।
- यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को चूककर्ता की आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी करके ऋण वसूल करने की अनुमति देता है।
- इस अधिनियम के तहत, भारत का पहला संपत्ति पुनर्निर्माण निगम (एआरसी), एआरसीआईएल, की स्थापना की गई थी।
- सुरक्षित लेनदारों (बैंकों या वित्तीय संस्थानों) के पास सरफेसी अधिनियम, 2002 की धरा 13 के तहत सुरक्षा हित प्रवर्तन के अधिकार हैं।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, 2002 का सरफेसी अधिनियम अब सभी राज्य और बहु-राज्य सहकारी बैंकों पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले की बदौलत बैंक अब अपने कर्ज की वसूली के लिए डिफॉल्टरों की संपत्तियों को जब्त और बेच सकते हैं।

<u>सरफेसी अधिनियम - प्रावधन</u>

- यदि वित्तीय सहायता का उधरकर्ता ऋण या किस्त पर चूक करता है, और उसके खाते को एक सुरक्षित लेनदार द्वारा गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वगीकृत किया जाता है, तो सुरक्षित लेनदार सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले लिखित नोटिस का अनुरोध कर सकता है।
- असुरक्षित ऋण, रु. 100,000 से कम के ऋण, और ऐसे ऋण जो प्रारंभिक सिद्धांत के 20% से कम हैं, कानून से मुक्त हैं।
- इस कानून ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के गठन और बैंकों द्वारा एआरसी (जो आरबीआई द्वारा विनियमित हैं) को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की बिक्री की अनुमति दी।
- न्यायालय की सहमति के बिना, बैंक संपार्श्विक संपत्ति का स्वामित्व लेने और उसे बेचने के लिए अधिकृत हैं।
- निष्कर्ष निकालने के लिए, सरफेसी अधिनियम वित्तीय संस्थानों को ''जब्त करने और रोकने'' का अधिकार देता है। उन्हें 60 दिनों के भीतर भुगतान का अनुरोध करते हुए, अपराधी उधारकर्ता को एक अधिसूचना भेजनी चाहिए।
- अगर देनदार सहयोग नहीं करता है, तो बैंक निम्नलिखित तीन में से एक कार्रवाई कर सकता है:
  1. ऋण सुरक्षा पर नियंत्रण रखें।
  2. सुरक्षा के अधिकार को बेचना, पट्टे पर देना या सौंपना।
  3. संपत्ति की देखभाल करें या ऐसा करने के लिए किसी को नियुक्त करें।

<u>सरफेसी अधिनियम - संशोधन</u>

- केंद्र सरकार ने 2013 में एक कानून पारित किया जिसमें सहकारी बैंकों को 2002 के सरफेसी अधिनियम के तहत लाया गया।
- सुरक्षा हितों का प्रवर्तन और ऋणों की वसूली कानून और विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2016 ने एक बार फिर कानून को बदल दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 (सी) और 56 (ए) के अधीन हैं, जो कि सूची I प्रविष्टि 45 से संबंधित कानून हैं। (संघ सूची)

<u>6. दिवाला और दिवालियापन संहिता क्या है?</u>

- दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) भारत का दिवाला कानून है, जिसका उद्देश्य एकल दिवाला और दिवालियापन कानून की स्थापना करके मौजूदा ढांचे को एकीकृत करना है।
- दिवाला एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक देनदार अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है।
- दिवालियापन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक दिवालिया व्यक्ति या कंपनी शामिल होती है जो अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होती है।
- यह बैंकों जैसे लेनदारों को ऋणों की वसूली और खराब ऋणों से बचने में मदद करने के लिए स्पष्ट और तेज दिवाला प्रक्रियाओं की स्थापना करता है, जो अर्थव्यवस्था पर एक प्रमुख दबाव है।
- यह एक व्यापक दिवाला कोड है जो सभी व्यवसायों, साझेदारियों और व्यक्तियों (वित्तीय फर्मों के अलावा) पर लागू होता है।

<u>दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016</u>

- कोड ने पिछले सभी कानूनों को निरस्त कर दिया और दिवाला और दिवालियापन के मामलों को हल करने के लिए एक मानकीकृत ढांचे की स्थापना की।
- यह लेनदारों को एक व्यावसायिक निर्णय के रूप में देनदार की व्यवहार्यता का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, लेनदार या तो इसके पुनरुत्थान की योजना के लिए सहमत हो सकते हैं या एक त्वरित परिसमापन का प्रस्ताव कर सकते हैं।
- संहिता एक नया कानूनी ढांचा स्थापित करती है। इस ढांचे ने एक दिवाला समाधान प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने और परिसमापन में सहायता की जो समयबद्ध थी। ढांचे में निम्नलिखित तत्व होते हैं:
- **दिवाला पेशेवर:** वे समाधान प्रक्रिया के प्रभारी होंगे। वे देनदार की संपत्ति को भी संभालते हैं और लेनदारों को निर्णय लेने में मदद करने के लिए जानकारी प्रदान करते हैं।
- **दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां:** दिवाला व्यवसायियों को दिवाला के लिए पेशेवर एजेंसियों के साथ पंजीकृत किया जाएगा। दिवाला विशेषज्ञों को प्रमाणित करने के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी और एजेंसियों द्वारा उनके प्रदर्शन के लिए व्यवहार संहिता लागू की जाएगी।
- **सूचना उपयोगिताओं:** वे लेनदारों के लिए बकाया ऋणों के साथ-साथ चुकौती और ऋण चूक का ट्रैक बनाए रखेंगे।
- **न्यायनिर्णयन प्राधिकारी:** वे समाधान प्रक्रिया की शुरुआत की मंजूरी देंगे, दिवाला पेशेवर की नियुक्ति करेंगे, और लेनदारों के अंतिम निर्णय पर हस्ताक्षर करेंगे।
- नेशनल कंपनी लक्र ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) निगमों और सीमित देयताफर्मो के लिए निर्णायक प्राधिकरण है।
- ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) द्वारा व्यक्यिों और साझेदारी फर्मो के अपने ऋणों का न्यायनिर्णयन किया जाता है।
- दिवाला और दिवालियापन बोर्ड संहिता के तहत स्थापित दिवाला विशेषज्ञों, पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं की देखरेख करेगा।
- संहिता का लक्ष्य दिवालियेपनों का समय पर समाधन करना हैय मूल्यांकन और व्यवहार्यता निर्धारण 180 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
- कंपनी 180 दिनों की मोहलत के अधीन है (जिसे 270 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है)। स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों के

लिए समाधन की समय सीमा 90 दिन है, जिसे 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

7. बैड बैंक क्या है?

- बैड बैंक एक वित्तीय संस्थान है जिसे किसी अन्य वित्तीय संस्थान के अशोधय ऋण और अन्य चलनिधि संपत्तियों को खरीदने के लिए बनाया गया था।
- बड़ी संख्या में गैर-निष्पादित आस्तियों वाला संगठन उन्हें बाजार मूल्य पर बैड बैंक को बेच देगा।
- मूल संस्था ऐसी संपत्तियों को खराब बैंक में स्थानांतरित करके अपनी बैलेंस शीट को सफ करने में सक्षम हो सकती है, हालांकि यह अभी भी राइट-डाउन लेने के लिए मजबूर होगी।
- एक बैंक के बजाय, एक खराब बैंक संरचना वित्तीय संगठनों के एक संघ की जोखिम भरी संपत्ति मान सकती है।
- ग्रांट स्ट्रीट नेशनल बैंक खराब बैंक का एक जाना-माना उदाहरण है। इस इकाई की स्थापना 1988 में मेलॉन बैंक की खराब संपत्तियों को रखने के लिए की गई थी।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर, आयरलैंड गणराज्य ने देश के अपने वित्तीय संकट के जवाब में 2009 में राष्ट्रीय संपत्ति प्रबंधन एजेंसी, एक बैड बैंक की स्थापना की।
- दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) और अन्य लागू समाधान उपकरण उपयोगी साबित हुए हैं।

भारत में बैड बैंक

- भारत सरकार ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बड़े एनपीए (गैर-निष्पादित आस्तियों) को हल करने के लिए बैंकों से दबावग्रस्त संपत्ति प्राप्त करने और फिर उन्हें बाजार में बेचने के लिए दो नई फर्मो की स्थापना की है।
- **एनएआरसीएल:** नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) की स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत की गई थी और इसने भारतीय रिजर्व बैंक (एआरसी) से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।
- चरणों में, एनएआरसीएल विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों से लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की दबाव वाली संपत्ति खरीदेगा।
- एनएआरसीएल का 51 प्रतिशत स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पास होगा।
- एनएआरसीएल पहले बैंकों से बैड लोन खरीदेगा।
- यह सहमत मूल्य का 15% नकद में और शेष 85% ''सुरक्षा रसीदों'' में भुगतान करेगा।
- वाणिज्यिक बैंकों को शेष राशि का भुगतान तब किया जाएगा जब IDRCL की सहायता से परिसंपत्तियां बेची जाएंगी।
- अगर बैड बैंक बैड लोन को बेचने में असमर्थ है या उसे घाटे में बेचना है तो सरकारी गारंटी सक्रिय हो जाएगी।
- यह गारंटी पांच साल की अवधि के लिए बढ़ाई गई है।
- **IDRCL:** दबावग्रस्त आस्तियों को बाद में एक अन्य फर्म, इंडिया डेट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) द्वारा बाजार में बेचा जाएगा।
- IDRCL का स्वामित्व PSB और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (FI) के पास अधिकतम 49 प्रतिशत होगा।
- निजी क्षेत्र के ऋणदाता कंपनी के शेष 51 प्रतिशत के मालिक होंगे।
- नया बैड बैंक ढांचा एनएआरसीएल-आईडीआरसीएल का यह ढांचा है।

8. बैंकों का पुनर्पूंजीकरण

- बैंकों का पुनर्पूंजीकरण राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों को पूंजी पर्याप्तता मानकों तक लाने के लिए अतिरिक्त पूंजी का इंजेक्शन लगा रहा है।
- इसमें पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में अधिक पूंजी डालने की आवश्यकता है।
- भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 12 प्रतिशत का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बनाए रखने की आवश्यकता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेसल मानदंडों के अनुरूप रेखांकित किया गया है।
- पूंजी-से-जोखिम-भारित-संपत्ति-और-वर्तमान-देयता अनुपात (सीएआर) एक बैंक की पूंजी का उसकी जोखिम-भारित परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों का अनुपात है।
- सरकार विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करके नकदी की कमी वाले बैंकों में पूंजी इंजेक्ट करती है।
- चूंकि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ी हितधारक है, इसलिए पूंजी भंडार बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है।
- सरकार बांड जारी करके या नए शेयर खरीदकर बैंकों में पूंजी इंजेक्ट करती है।
- 2017 में, सरकार ने रुपये की घोषणा की थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 2.11 लाख करोड़ का पुनर्पूंजीकरण पैकेज

9. शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई

- खराब वित्तीय प्रदर्शन वाले बैंकों पर नजर रखने के लिए आरबीआई पीसीए ढांचे का उपयोग करता है।
- पीसीए ढांचे को आरबीआई द्वारा 2002 में बैंकों के लिए एक संरचित प्रारंभिक-हस्तक्षेप तंत्र के रूप में पेश किया गया था जो लाभप्रदता के नुकसान के कारण कम पूंजीकृत या कमजोर हो गए हैं।
- इसका लक्ष्य भारत की बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के मुद्दे का समाधान करना है।
- भारत में वित्तीय संस्थानों के लिए समाधन व्यवस्था पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के कार्यकारी समूह और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधर आयोग की सिफारिशों के आधर पर, रूपरेखा की समीक्षा 2017 में की गई थी।
- यदि कोई बैंक संकट में है, तो पीसीए को नियामक, साथ ही निवेशकों और जमाकर्ताओं को सूचित करना चाहिए।
- लक्ष्य समस्याओं को संकट के अनुपात तक पहुँचने से रोकना है।
- अनिवार्य रूप से, पीसीए बैंकों के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी करने और बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए सुधरात्मक कार्रवाई करने में आरबीआई की सहायता करता है।

10. इंद्रधनुष फेमवर्क - 2015

- 1970 में बैंकिंग राष्ट्रीयकरण के बाद से, पीएसबी को बदलने के लिए इंद्रधनुष ढांचा एबीसीडीईएफजी द्वारा पीएसबी को फिर से तैयार करने और उनके समग्र प्रदर्शन में सुधर करने के लिए सबसे व्यापक सुधर प्रयास रहा है।
- **नियुक्तियां:** कंपनी अधिनियम में दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों के आधार पर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का एक अलग पद सृजित किया जाएगा, जिसमें सीईओ को एमडी और सीईओ का पद प्राप्त होगा, और पीएसबी के एक गैर-कार्यकारी अधयक्ष की नियुक्ति की जाएगी।
- **बैंक बोर्ड ब्यूरो:** पीएसबी के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यकारी अधयक्ष के चयन में नियुक्ति बोर्ड की जगह लेगा।

- **पूंजीकरण:** वित्त मंत्रलय के अनुसार, वित्त वर्ष 2019 तक अगले चार वर्षों के लिए पूंजी की आवश्यकता लगभग 1,80,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें से सरकार 70000 करोड़ का भुगतान करेगी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शेष राशि से जुटाना होगा। बाजार।
- **डीस्ट्रेसिंग:** डी-स्ट्रेसिंग में आस्ति पुनर्निर्माण फर्मो को मजबूत करके दबावग्रस्त आस्तियों को बैंकों से बाहर रखने के लिए बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में चिंताओं को हल करना शामिल है। पीएसबी के लिए एक संपन्न ऋण बाजार का निर्माण।
- **अधिकारिता:** जब कर्मचारियों को नियुक्त करने की बात आती है तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक लचीलापन और स्वायत्तता दी जानी चाहिए।
- **जवाबदेही की रूपरेखा:** कुछ प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर बैंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें सब कुछ शामिल होगा।
- गैर-निष्पादित परिसंपत्ति प्रबंधन, विकास, विविधीकरण, पूंजी पर लाभ, वित्तीय समावेशन, और अन्य मात्रत्मक संकेतक
- संपत्ति की गुणवत्ता में सुधर के लिए किए गए कदम, मानव संसाधन पहल, आदि गुणात्मक मानकों के उदाहरण हैं।
- **गवर्नेंस रिफॉर्म्स:** बैंकर्स रिट्रीट या ज्ञान संगम बैंकरों और सरकारी अधिकारियों के बीच बैंकिंग क्षेत्र की चिंताओं को हल करने और भविष्य की कार्रवाई का निर्धारण करने के लिए बातचीत करता है।

बेसल मानदंड क्या हैं?

- बेसल समझौता बीसीबीएस द्वारा किए गए समझौतों के एक समूहैको संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय प्रणाली के जोखिमों को संबोधित करता है।
- समझौते का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय संस्थानों के पास दायित्वों को पूरा करने और अप्रत्याशित नुकसान को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त पूंजी है।
- बैंकिंग प्रणाली के लिए बेसल समझौते को भारत ने स्वीकार कर लिया है। वास्तव में, आरबीआई ने बीसीबीएस की तुलना में कुछ मापदंडों पर अधिक कड़े मानक लगाए हैं।

  बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नियमों के लिए बेसल मानदंड जारी करती है। इन मानदंडों का लक्ष्य दुनिया भर में बैंकिंग नियमों का समन्वय करके अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना है। बीसीबीएस भारत सहित दुनिया भर के विभिन्न देशों के 27 प्रतिनिधियों से बना है। बेसल समिति ने वर्तमान में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीन दिशानिर्देश जारी किए हैं: बेसल I, II और III।
- भारत में, बेसल-III को लागू करने की समय सीमा मार्च 2019 थी। इसे मार्च 2020 तक वापस धकेल दिया गया।
- बासेल स्विट्जरलैंड का एक शहर है।
- यह ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) का मुख्यालय है, जो वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग नियामक मानकों के एक सामान्य लक्ष्य के साथ केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
- हर दो महीने में, बीआईएस सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आयोजित करता है।

बेसल I

- बीसीबीएस ने 1988 में बेसल पूंजी समझौता नामक पूंजी मापन प्रणाली की शुरुआत की।
- यह लगभग पूरी तरह से ऋण जोखिम से संबंधित था।
- आवश्यक न्यूनतम पूंजी जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के 8% पर निर्धारित की गई थी।
- आरडब्ल्यूए का तात्पर्य अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल वाली परिसंपत्तियों से है। उदाहरण के लिए, संपार्श्विक द्वारा समर्थित संपत्ति बिना किसी स पार्श्विक के व्यक्तिगत ऋण से कम जोखिम भरी होगी।
- पूंजी को दो श्रेणियों में बांटा गया है: टियर 1 कैपिटल और टियर 2 कैपिटल।
- टियर 1 पूंजी बैंक की मुख्य पूंजी है क्योंकि यह बैंक की वित्तीय मजबूती का प्राथमिक माप है।
- मुख्य पूंजी का अधिकांश हिस्सा प्रकट किए गए भंडार (जिसे प्रतिधरित आय के रूप में भी जाना जाता है) और चुकता पूंजी से बना है।
- इसमें गैर-स चयी और गैर-प्रतिदेय पसंदीदा स्टॉक भी शामिल है।
- **टियर 2 पूंजी** - इसका उपयोग पूरक फंडिंग के रूप में किया जाता है क्योंकि यह पहले टियर की तुलना में कम विश्वसनीय है।
- इसमें अघोषित भंडार, वरीयता शेयर और अधीनस्थ ऋण शामिल हैं।
- 1999 में, भारत ने बेसल 1 दिशानिर्देशों को अपनाया।

बेसल II

- बीसीबीएस ने जून 2004 में बेसल II दिशानिर्देश प्रकाशित किए, जिन्हें बेसल I समझौते का परिष्कृत और सुधरित संस्करण माना गया।
- दिशानिर्देशों को तीन स्तंभों पर स्थापित किया गया था, जैसा कि समिति उन्हें संदर्भित करती है:
- **पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएँ:** बैंकों को जोखिम आस्तियों के 8: की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता रखनी चाहिए।
- **पर्यवेक्षी समीक्षा:** इसके अनुसार, बैंकों को उन सभी तीन प्रकार के जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन के लिए बेहतर जोखिम प्रबंधन तकनीकों को विकसित और कार्यान्वित करना आवश्यक था, जिनका सामना बैंक करता है: क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिम।
- बाजार अनुशासन: इसके लिए सख्त प्रकटीकरण आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। बैंकों को नियमित आधार पर अपने सीएआर, जोखिम जोखिम और अन्य जानकारी केंद्रीय बैंक को देनी चाहिए।

बेसल III

- बासेल III दिशानिर्देश 2010 में प्रकाशित किए गए थे।
- ये दिशा-निर्देश 2008 के वित्तीय संकट के जवाब में बनाए गए थे।
- प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता थी क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बैंक कम पूंजीकृत, अधिक लीवरेज्ड थे, और अल्पकालिक वित्त पोषण पर अधिक निर्भर थे।
- दिशानिर्देशों का उद्देश्य चार महत्वपूर्ण बैंकिंग मापदंडों: पूंजी, उत्तोलन, वित्त पोषण और तरलता पर ध्यान केंद्रित करके एक अधिक लचीला बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देना है।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.9 प्रतिशत पर रखा जाना चाहिए।

●●●